न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

(1) **प्रकरण संख्या : 110/2019** **दायर दिनांक : 30.10.2019**

अमर सिंह पुत्र श्री रूपराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)।

--प्रार्थी

बनाम्

1 रूपराम पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2 कुलदीप पुत्र श्री रूपराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3 तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।
4 उप-पंजियक, सूरतगढ़।

--अप्रार्थीगण

(2) **प्रकरण संख्या : 129/2019** **दायर दिनांक : 17.12.2019**

रूपराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़

--प्रार्थी

बनाम्

1 अमरसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़
2 तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री राकेश कुमार मनचंदा, प्रमेन्द्र सिंह भाटी अभिभाषक अमरसिंह की ओर से
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक रूपराम व कुलदीप की ओर से
3. पैरोकारराज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 06.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, दोनो प्रकरणों के पक्षकार एवं विषय एक समान होने के कारण दोनों प्रार्थना पत्र को निर्णय एक साथ किया जा रहा है। दोनो प्रार्थना पत्रों में इस निर्णय की एक-एक प्रति रखी जावे। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत किया वा साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 रूपराम के नाम से चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 66/72 पत्थर नं. 61/377 मु0 न0 22 किला नं. 3 ता 8, 4 ता 17 की 2.530 है. नाली दोयम मय खाला व पत्थर नं. 57/378 मु0 न0 33 किला न0. 1 ता 15 = 3.795 है. नाली दोयम मय खाला कुल 6.325 है. मय खाला खाता (2) चक 38 पीबीएन के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की खाता संख्या 65/71 मु0 न0 32 पत्थर नं. 56/378 किला नं. 17, 23, 24 की 0.759 है0. में से 0.380 है. (3) चक 38 पीबीएन के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की खाता संख्या 64/70 पत्थर नं. 56/377 मु0 न0 27 किला नं. 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 की 3.036 है में से 2.467 है (4) चक 38 पीबीएन के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की खाता संख्या 35/42 पत्थर नं. 55/378 मु0 न0 31 किला नं. 1 ता 25 व पत्थर नं. 56/378 मु0 न0 31 किला नं. 5,6,15,16, 25/1 की 1.252 है0 मय गैरमुमकिन रास्ता. कुल 7.577 है0 मय नाली दोयम खाला व रास्ता में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित 0.506 है0 व (5) चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी की खाता संख्या 34/41 पत्थर नम्बर56/378 (32) किला नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 18 ता 22 की 4.301 है. भूमि में से 0.385 है0 इस प्रकार समस्त खाता की कुल 10.063 है. खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

इसके अलावा यह भी निवेदन किया की मद संख्या 2 में अंकित भूमि में से चक 38 पीबीएन के खाता सं. 66 के प0न0 57/378 मु0 न0 33 किला न0 1 ता 15 की 3.795 है0 नाली दोयम मय खाला भूमि वादी के दादा बीरबलराम पुत्र बस्तीराम के नाम सें थी। उक्त भूमि दादा बीरबलराम सें अप्रार्थी सं. 1 रुपराम को प्राप्त हुई है। भूमि पैतृक है उक्त भूमि में मुझ प्रार्थी का हिन्दू उत्तराधिकारी

अधिनियम के तहत जन्म से हक व हिस्सा निहित है। पैतृक सम्पति का होने साक्ष्य के रुप में जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2030 खाता सं. 15 दादा बीरबलराम वल्द बस्तीराम के नाम की प्रस्तुत की।

इसी प्रकार मद सं. 2 में अंकित भूमि में सें चक 38 पीबीएन के खाता सं. 66/72 के प0न0 61/377 मु0 न0 22 के कि0 न0 3 ता 8 14 ता 17 की 2.530 है0 नाली दोयम मय खाला प्रार्थी के दादा बीरबलराम ने सन् 1959 में अपनी स्वंय की मेहनत मशक्कत से कमाई धनराशि सें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से खरीद की थी। उस समय प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 रुपराम की उम्र बहुत ही कम महज 8 वर्श की थी। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा बीरबलराम द्वारा अपनी आय के रुपयों से ही उक्त भूमि को प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 के नाम सें खरीद की थी। प्रार्थी के पिता उस समय बहुत ही अल्पायु थे तथा प्रार्थी के पिता अप्रार्थी उस समय किसी भी प्रकार की कोई सम्पति खरीद करने मे सक्षम नहीं थे। उक्त भूमि खरीद करने मे जो धनराशि खर्च हुई थी वह प्रार्थी के दादा के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी मेहनत मशक्कत से बनाई हुई धनराशि सें ही प्रार्थी के पिता अप्रार्थी न. 1 के नाम से खरीद की थी। उक्त भूमि प्रार्थी के दादा के द्वारा प्रार्थी के पिता अप्रार्थी के नाम से खरीद की हुई होने के कारण उक्त भूमि पैतृक भूमि के श्रेणी मे आती है जिसमे हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। बतौर साक्ष्य नकल बैयनामा दिनांक 13.04.1959 व प्रार्थी के पिता के तत्कालीन समय मे नाबालिग थे।

प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया की चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ की खाता सं. 64/70 प0न0 56/377 मु0 न0 27 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 की 3.036 है0 नाली दोयम मय रास्ता खातेदारी कृशि भूमि में प्रार्थी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 45 हिस्सा दर्ज था। उक्त खाता में प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 ने इन्तकाल सं. 417 व 414 दिनांक 20.02.2015 को प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 नें फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा लिया। प्रार्थी के दादा ने अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत नहीं की थी, प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 ने जिस वसीयत के आधार पर नामान्तरण सं. 417 व 414 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया है वह वसीयत फर्जी व कूटरचित है वसीयत को निरस्त करवाने हेतू प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय सूरतगढ में अलग से कार्यवाही कर रखी है व अतिरिक्त जिला कलैक्टर सूरतगढ के यहा उक्त इंन्तकाल को चुनौती दी हुई है व इसी प्रकार चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ की खाता सं. 34 नई 41 पुरानी में अंकित मु0न0 32 प0न0 56/378 कि0न0 1 ता 4, 7 ता 14, 18 ता 22 की 4.301 है0 नाली दोयम खातेदारी कृशि भूमि में प्रार्थी के दादा बीरबल वल्द बस्तीराम के नाम सें 0.253 है0 हिस्सा भूमि अंकित थी। इस भूमि को भी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 रुपराम ने फर्जी व कूटरचित वसीयत 28/09/1993 प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं. 414 दिनांक 02.01.2015 को व (2) व चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की खाता सं. 35 नई 42 पुरानी में अंकित मु0न0 31 प0न0 55/378 कि0न0 1 ता 25 की 6.325 है0 मु0न0 32 प0न0 56/378 कि0न0 5, 6, 15, 16, 25/1 की 1.252 है0 गै0मु0रा0 कुल 7.557 है0 मय गै0म0रा0 खाला खातेदारी कृशि भूमि में प्रार्थी के दादा बीरबलराम वल्द बस्तीराम के नाम से 0.506 है0 भूमि अंकित थी जिसे प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 रुपराम ने फर्जी व कूटरचित दस्तावेज वसीयतनामा प्रस्तुत कर इन्तकाल सं. 414 दिनांक 02.01.2015 के अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित करवा ली। उक्त वसीयत फर्जी व कूटरचित है, प्रार्थी के दादा नें अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत पिता अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे निश्पादित नहीं की थी। उक्त वसीयत फर्जी है जिसकी चित्रप्रति प्रार्थना पत्र के साथ मे संलग्न है। उक्त वसीयत को निरस्त करवाने हेतू सिविल न्यायालय में एक वाद अलग सें पेश किया गया है। वसीयत नामां दिंनाक 28-09-1993 फर्जी कुटरचित दस्तावेज की तारीफ मे आता है जो कि प्रार्थी के हको पर बेअसर व निश्प्रभावी है। उक्त वसीयत के आधार पर इन्तकाल स0 417 व 414 दिंनाक 20-02-2015 स्वतः ही निरस्ती योग्य है। उक्त वसीयत का इन्तकाल सख्या 417 व 414 वेस्टपेपर की तारीफ मे आते है तथा प्रभावहीन है।

प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया की उक्त भूमि की आय से प्रार्थी के दादा बीरबलराम ने चक 38 पीबीएन के खाता सं. 66 के प0न0 61/377 कि0न0 3 ता 8, 14 ता 17 की 2.530 है0 चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ की खाता सं. 64/70 प0न0 56/377 की कुल 3.036 है0 भूमि प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के चाचा राधेराम के नाम से 90 हिस्सा भूमि चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ की खाता सं. 65/71 के प0न0 56/378 मु0न0 32 कि0न0 17, 23, व 24 की 0.759 है0 भूमि प्रार्थी के दादा बीबरलराम वल्द बस्तीराम ने अपने जीवनकाल में पिता अप्रार्थी सं. 1 रुपराम व चाचा राधेराम के नाम से खरीद की थी उक्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी मे आती है उक्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है।

इसके अलावा चक 6 एसजीएम बी तहसील सूरतगढ के प0न0 60/369 व प0न0 60/370 में अंकित भूमि में सें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 1 रुपराम व चाचा राधेराम ने 120 हिस्सा बैय कर दी व इसी प्रकार चक 6 एसजीएम बी पत्थर न0 60/364 व 60/370 में अप्रार्थी स0 1 व चाचा राधेराम ने 4.00 बीधा भूमि का बैयनामां करवा दिया उक्त भूमि पैतृक भूमि थी जिसमें मे भी प्रार्थी का जन्मजात् हक व हिस्सा था। नकल इन्तकाल स0 97 व 108 प्रार्थना पत्र के संलग्न है, जिसकी एवज में प्रार्थी चक 38 पीबीएन में स्थित भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि को अपने नाम से घोशित करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त सम्पति प्रार्थी के दादा बीरबलराम के द्वारा अपनी मेहन्नत मशक्कत से बनाई हुई सम्पति है तथा अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पत्ती है। उक्त भूमि मे सें प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थी को घरेलू बंटवारा में प्रार्थी व प्रार्थी की माता श्री मति सावित्री देवी को चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ के प0न0 56/377 मु0न0 27 कि0न0 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 की 3.036 है0 भूमि में से 2.467 है0 व चक 38 पीबीएन तहसील सूरतगढ की खाता सं. 66/72 में पत्थर न0 57/378 मु0 न0 33 किला न0 1ता 15 कि 3.795 है0 भूमि में से किला न0 1ता 10 व 11/0.025 कुल 2.555है0 इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 5.022 है0 भूमि प्रार्थी व प्रार्थी की माता को दी हुई है जिस पर प्रार्थी पिछले करीब 20-22 वर्शो से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अब प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि को लेकर अप्रार्थी सं. 1 रुपराम के मन मे बदयांति आ चुकी है तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपने नाम सें अंकित करवा रहा है तथा जबरन उक्त भूमि में अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 काबिज होना चाहते है। इसलिये करीब 10 दिन पूर्व में ग्राम में मौजीज लोगों की पंचायत रखी गई जिसमें प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त भूमि तहसील मे चलकर अपने नाम से अंकित करवाने हेतू कहा तो स्पश्ट इन्कार हो गया तथा एलानियाँ धमकी दी कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम सें अंकित है। उक्त भूमि को बेचान बदमाश किस्म के लोगो को बेचान कर दुगाँ, अगर अप्रार्थी अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा, प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है, अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावें की वह वादान्तर्गत भूमि को रहन बैय खुर्द बुर्द नहीं करें तथा प्रार्थी व प्रार्थी की माता के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा नहीं करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व दिनांक 30.10.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, दिनांक 16.12.2019 को अप्रार्थी न. 1 व 2 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किये गये।

अप्रार्थी न. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में कानूनी आपत्ति पैरा वाईज प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी दिनांक 23.12.1976 को मुखराम पुत्र श्री नत्थूराम जाति जाट निवासी रतनपुरा (वर्तमान अमरपुरा जाटान) के खोला चला गया, खोला जाने के बाद प्रार्थी का अपने प्राकृतिक पिता व माता की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि प्रार्थी दत्तक ग्रहीता का उत्तराधिकारी हो गया है व अपने प्राकृतिक पिता का उत्तराधिकारी नहीं रहा है। इस तथ्य को छिपाकर दिनांक 30.10.2019 को अदालतवाला से अस्थाई निशेधाज्ञा प्राप्त की है। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी निवेदन किया की जैर प्रकरण भूमि पैतृक साबित होती हो उसका कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया, जैर प्रकरण भूमि मुझ अप्रार्थी को जरिये बैयनामां तमलीकनामां, वसीयतनामां द्वारा प्राप्त हुई है इसलिये स्वःअर्जित भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थी न. 1 जैर प्रकरण भूमि का रिकॉर्डिड खातेदार है एक खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर कब्जा मुझ अप्रार्थी का चला आ रहा है प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। मुझ अप्रार्थी को जिन जिन दस्तावेज के माध्यम से भूमि आई है तमाम दस्तावेज पंजीबद्ध है जो कि 1952 से 1993 तक के है जिनको तस्दीक हुये 27 वर्ष से 67 वर्ष हो चुके है जिनको इस अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है जो कि स्वतः ही माने जाने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने से मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही सुविधाऐं बंद हो गई है, बिजली कनैक्शन काटे जाने की धमकी मिल रही है, उक्त आदेश से अप्रार्थी पर घोर आर्थिक संकट आ रहा है व प्रार्थी अप्रार्थी के कब्जा में दखल करने की कोशिश कर रहा हैं व उक्त आदेश ना तो कानून सम्मत् है वा ना ही न्याय के सिद्धांतो पर टिकता है इसलिये आदेश दिनांक 30.10.2019 तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावें, मझ अप्रार्थी को जान माल का पूरा पूरा खतरा है कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की सम्भावना है अतः दिनांक 30.10.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने का निवेदन किया एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र 212 आर0टी0ए0 स्वीकार कर अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक श्री मनचन्दा द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की चक 38 पीबीएन खाता संख्या 66/72 पत्थर नं.

61/377 की 2.530 है. पत्थर नं. 57/378 की 3.795 है. कुल 6.325 है. व खाता संख्या 64/70 पत्थर नम्बर 56/377 की 3.036 है. मे से 2.467 है. व खाता संख्या 35/42 पत्थर नं. 55/378 की 0.506 है. खाता संख्या 34/41 पत्थर नं. 56/378 में 0.385 है० व खाता सख्या 65/71 पत्थर न० 56/378 कि 0.759 है० मे से 0.379 है० कुल 10.063 है० पैतृक भूमि को अप्रार्थी दौराने वाद रहन बैय व हस्तान्तरण न करने हेतू पांबन्द करने व प्रार्थी व प्रार्थी की माता श्री मति सावित्री देवी को चक 38 पीबीएन के प०न० 56/377 मु०न० 27 कि०न० 4 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 की 3.036 है० भूमि में से 2.467 है० व चक 38 पीबीएन की खाता सं. 66/72 में पत्थर न० 57/378 मु० न० 33 किला न० 1 ता 15 कि 3.795 है० भूमि में से किला न० 1ता 10 व 11/0.025 कुल 2.555है० इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 5.022 है० भुमि प्रार्थी व प्रार्थी की माता के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि में बेजा दखलदांजी करने से बाज व ममनू रहे अप्रार्थी स० 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें, साथ ही अपनी बहस के समर्थन में फार्म न. 3 के साथ दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जिसमें खोलानामां को प्रभाव भाून्य घोषित करवाने हेतू सिविल कोर्ट में प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रवेश पत्र, राशन कार्ड 1982-83, ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र, राशन कार्ड 2010, मूल निवास प्रमाण पत्र व वोटर लिस्ट अमरपुरा जाटान की प्रतियॉं, परिचय कार्ड व पत्रिका सीमा संदेश की बेदखली की सूचना प्रति की पेश की अलावा बहस के समर्थन में नजीरें माननीय उच्तम् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर.आर.टी. 2011(1) पेज 520, निर्णय प्रति आर.आर.टी. 2012(2) पेज 1412 चित्र प्रति आर.आर.टी. 2009 पेज 61, चित्र प्रति आर.आर.टी 2010 पार्ट 1 पेज 206 चित्र प्रति आर.आर.टी. 2012 पार्ट 2 पेज 800, डी.एन.जे. एस.सी. 1996 पेज 456 आर.आर.टी. 2010 पार्ट 1 पेज 221प्रस्तुत की।

अभिभाशक अप्रार्थी न. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की प्रार्थी वाद पत्र व प्रार्थना पत्र धारा 212 लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी दिनांक 23.12.1976 को मुखराम पुत्र श्री नत्थूराम के गोद चला जाने के कारण उसका प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक व हिस्सा नहीं रहता है। उक्त खोलानामां जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि मामा ने खरीद कर दी थी वसीयत फर्जी दस्तावेज नहीं है व ना ही किसी अदालत में चुनौती दी गई है उक्त वसीयत आज भी अस्तित्व में है, दिनांक 30.10.2019 को जारी किये गये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंध किया गया है जबकि प्रार्थी का काल्पनिक 1/4 हिस्सा बनता है तो उसी अनुसार 1/4 हिस्सा पर ही अस्थाई निशेधाज्ञा जारी की जानी चाहिये। अप्रार्थी द्वारा अपने सबूत के रूप खोलांनामां व तमलीकनामां, नकल पर्चा खतौनी, दस्तावेज बैयनामांजात् तथा वसीयतनामां की प्रतियॉं पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया एवं कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक मनन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा पिता-पुत्र है जिनमें सम्पत्ति के सम्बंध में आपसी विवाद चला आ रहा है तथा दोनों पक्षों में भूमि के सम्बंध में विवाद है दोनों पक्षों द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से विवेचना की जानी उचित नहीं है क्योंकि जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनके आधार पर कानूनी बिन्दु तय होने है जो कि वाद पत्र के माध्यम से तनकी अनुसार व साक्ष्य के अनुसार विवेचना की जानी है इस स्तर पर चूंकि भूमि के सम्बंध में दोनों पक्षों के मध्य विवाद चला आ रहा है ऐसी स्थिति में मौके पर दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो व झगड़ा फसाद ना हो एवं परिवार में अधिक विवाद उत्पन्न ना हो इसलिये उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है की वे ^वाद पत्र के निर्णय तक^ चक 38 पीबीएन खाता संख्या 66/72 पत्थर नं. 61/377 की 2.530 है. नाली दोयम व पत्थर नं. 57/378 की 3.795 है. कुल 6.325 है. व खाता संख्या 64/70 पत्थर नम्बर 56/377 की 3.036 है. में से 2.467 है. व खाता संख्या 35/42 पत्थर नं. 55/378 की 0.506 है. खाता संख्या 34/41 पत्थर नं. 56/378 में 0.385 है0 व खाता सख्या 65/71 पत्थर न० 56/378 कि 0.759 है० मे से 0.379 है० कुल 10.063 है० भूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.10 11:14:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: